OPPOSITION FRUSTRATED OVER ASSEMBLY POLL LOSS, SAYS GOVT

49 more MPs suspended from LS

Criminal law Bills listed, reason why Govt adopted bulldoze tactics, says Kharge

LIZ MATHEW & DIVYA A
New Delhi, December 19

Congress president Mallikarjun Kharge with party leaders Rahul Gandhi and KC Venugopal, DMK leader TR Baalu, CPI General Secretary D Raja, CPI(M) leader Sitaram Yechury and others during a press conference after the Indian National Developmental Inclusive Alliances (INDIA) meeting, in New Delhi on Tuesday. PTI

A DAY AFTER 78 Opposition MPs were suspended from Parliament in the highest single-day suspensions so far, another 49 Lok Sabha members were suspended on Tuesday, taking the total to 141 – 95 from Lok Sabha and 46 from Rajya Sabha -- since last Thursday.

The latest suspensions left the Opposition benches almost empty in Lok Sabha on a day that it took up important legislation seeking to overhaul criminal laws – the Bharatiya Sakshya Bill, 2023, Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, 2023, and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill, 2023, to replace the Indian Evidence Act, Indian Penal Code, and Code of Criminal Procedure respectively.

The Opposition INDIA bloc has lost more than two-thirds of its strength for the duration of the Winter Session. Of its 138 members in Lok Sabha, the bloc is now down to 43.

Accusing the BJP government of trying to bulldoze key legislation in an "Oppositionless" Parliament, Congress president Mallikarjun Kharge tweeted: "The suspension of a total of 141 Opposition MPs from Parliament reinforces our charge that an autocratic BJP wants to demolish democracy in this country. We all know that key Bills like the criminal law amendments, which unleash draconian powers and impede citizen's rights, are listed."

"Modi Govt does not want the people of India to hear out the Opposition, while these Bills are debated and deliberated. Therefore, they have adopted this 'suspend, throw out and bulldoze' tactic to destroy democracy," he said.

Only nine of the Congress' 48 Lok Sabha members, including former party presidents Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, are left in the House. Among the others suspended from Lok Sabha are: 13 of the TMC's 22 members, 16 of the DMK's 24 members, two of the SP's three members, three of the four NCP members from the Sharad Pawar faction, two of the CPI(M)'s three members, one of the two CPI members, all three Indian Union Muslim League (IUML) members, and the lone members from AAP, VCK and RSP. None of the six Shiv Sena (UBT) members have been suspended so far.

The Opposition INDIA bloc has lost more than two-thirds of its strength for the duration of the Winter Session

Protesting against the Parliament security breach on December 13, the Opposition members have been demanding a statement by Union Home Minister Amit Shah, followed by a discussion in the House.

Last Thursday, a day after two men with smoke cans jumped into the Lok Sabha chamber from the visitors' gallery, 14 Opposition MPs (13 from Lok Sabha, one from Rajya Sabha) were suspended. This was followed by 78 suspensions (33 from Lok Sabha and 45 from Rajya Sabha) on Monday – the highest number of suspensions in a single day.

On Tuesday, among those suspended for disrupting House proceedings were: Shashi Tharoor, Manish Tewari and Karti Chidambaram (all Congress), Farooq Abdullah (National Conference), Dimple Yadav (Samajwadi Party), Supriya Sule (NCP), DNV Senthil Kumar (DMK), Giridhari Yadav (JD-U) and Sushil Kumar Rinku (AAP).

While Danish Ali, who was earlier suspended from the BSP, was among those suspended from the House on Tuesday, the BSP is not a part of the Opposition bloc. As soon as Lok Sabha met on Tuesday morning, Opposition members were on their feet, with some moving to the well of the House, holding placards and shouting slogans. Some were also carrying morphed photographs of Prime Minister Narendra Modi.

Speaker Om Birla said it was against the rules to bring placards in the House. "You may criticise the government, but is it proper to stage protests like this? Do you want to set a precedent for such kinds of protests? The whole country is watching your behaviour," he said.

The Opposition MPs continued their protests, pressing for a statement from Shah and Modi on the security breach. They shouted slogans calling for Shah's resignation and Modi's presence in the House.

The proceedings were adjourned multiple times between 11 am and 12:30 pm. Several MPs had moved adjournment motions to discuss the security breach, but these were not admitted by the chair, Rajendra Agrawal.

Modi asks Netanyahu for peaceful resolution

ISRAEL-HAMAS CONFLICT

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, December 19

A file photo of Narendra Modi with his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu.

PRIME MINISTER NARENDRA Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu on Tuesday discussed the latest developments in the Israel-Hamas conflict and shared concerns on the safety of maritime traffic in the region amid Houthi rebels stepping up attacks on ships in the Red Sea.

During a phone call made by Netanyahu, Modi, emphasised on an "early and peaceful resolution" of the conflict, including the release of all hostages, through "dialogue and diplomacy" as well as continued humanitarian assistance to the affected people.

An Israeli readout, without providing details, said the leaders also discussed "advancing the arrival of foreign workers from India to the state of Israel." In a post on X, Modi described the conversation as "productive".

"Had a productive exchange of views with PM @netanyahu on the ongoing Israel-Hamas conflict, including shared concerns on the safety of maritime traffic," Modi said. "Highlighted India's consistent stand in favour of early restoration of peace & stability in the region with continued humanitarian assistance for the affected," he said.

There have been concerns over the safety of maritime traffic in the region. A missile reportedly fired by Yemen's Houthi militants hit a commercial tanker in the Red Sea off the coast of Yemen last week triggering concerns. In a statement, the PMO said Netanyahu briefed Modi on the recent developments in the ongoing Israel-Hamas conflict.

"The two leaders shared concerns regarding the safety of maritime traffic," it said. "The prime minister reiterated the need for continued humanitarian aid for the affected population and emphasised an early and peaceful resolution of the conflict, including the release of all hostages, through dialogue and diplomacy," it added.

The PMO said two leaders agreed to remain in touch. The Israeli readout said the two leaders discussed the importance of "securing freedom of navigation in the Bab-el-Mandeb.

Over-invoicing by power firms: CBI, DRI to look into claims

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, December 19

THE DELHI HIGH Court on Tuesday asked the CBI and the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) to "meticulously and expeditiously" look into allegations of over-invoicing of imports by various power generating companies in India, including the Adani Group and the Essar Group, to ascertain the factual position and take appropriate action against the erring firms.

The high court passed the order while disposing of two petitions filed in 2017 by NGO Centre for Public Interest Litigation (CPIL) and former bureaucrat and social activist Harsh Mander.

The petitioners had referred to show cause notices issued by the DRI dated May 15, 2014 and March 31, 2016 that spoke of various entities of the two corporate giants indulging in gross over-valuation of imported goods (zero or low duty rated) to siphon off money abroad from public listed companies. "In the peculiar facts of these cases, this court finds it appropriate to direct the respondents to meticulously and expeditiously look into the allegations of the petitioners to unearth actual factual position and take appropriate actions against the erring companies, if any, as per law," a bench of Justices Suresh Kumar Kait and Neena Bansal Krishna said in its 54-page judgment.

The CPIL, represented by advocate Prashant Bhushan, sought a probe by a Special Investigating Team (SIT) into DRI reports about several private power generating entities engaging in over-invoicing.

Over-invoicing involves inflating the value of goods or services to make it appear that the companies are spending more on imports than they actually are. Over-invoicing is used for several purposes, including to evade taxes or customs duties. Mander, in his plea, sought a direction to the Central Bureau of Investigation (CBI) to probe cases of over-invoicing by power companies, as reported by DRI, or to set up an SIT under a retired judge of the Supreme Court to go into it.

He also sought a direction to the Department of Revenue and Ministry of Power to make declaration of international market price a mandatory part of the bill of lading/ shipping at the time of presentation of the documents to the Customs Authority of India (CAI) and to direct the Reserve Bank of India (RBI) to make it mandatory for banks to require declaration of international market price while granting credit/ discount facilities on any bill of lading/ invoice for import in India.

NewsClick probe: Police seek more time from HC

PTI & ENS
New Delhi, December 19

THE DELHI POLICE Tuesday moved court seeking more time to complete its probe in the case lodged under anti-terror law UAPA over allegations that NewsClick received money to spread pro-China propaganda. The application was moved before Special Judge Hardeep Kaur who posted the matter for hearing on December 22.

The application sought extension up to the maximum period granted under the law, i.e., 180 days from the day of the arrest of an accused for the cases lodged under the special Acts, including the stringent UAPA.

Without the court's permission, the probe agency will have three months from the arrest to complete the investigation. As per the law, if a probe agency fails to complete the investigation within the stipulated time period, the accused in custody gets a statutory right to bail.

The application claimed that the documents and other evidence in the case were voluminous and that the agency had to visit several places outside Delhi as part of the probe which was likely to take time. The application further claimed that there were some persons/potential witnesses in the case for whom the probe agency required judicial orders to question.

The Special Cell of Delhi Police had arrested the news portal's Founder and Editor-in-Chief Prabir Purkayastha and HR Head Amit Chakravarty on October 3. They are currently in judicial custody.

BIKAJI

BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED

Registered Office: F196-199, F178, E188, Bichhwal Industrial Area, Bikaner–334006, Rajasthan, India
Corporate Office: E-558-561, C-569-572, E-573-577, F-585-592, Karni Extension, RIICO Industrial Area, Bikaner-334004, Rajasthan
CIN: L15499RJ1995PLC010856
Email: cs@bikaji.com | **Website:** www.bikaji.com | **Phone:** 91-151-2250350

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 **('the Act')** read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 **('the Rules')**, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **('SEBI Listing Regulations')**, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 22/2020 dated 15th June, 2020, 33/2020 dated 28th September, 2020, 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, 20/2021 dated 8th December, 2021, 03/ 2022 dated 5th May, 2022, 11/2022 dated 28th December, 2022 and 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India **('MCA Circulars')**, Securities and Exchange Board of India Circulars SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 **('SEBI Circulars')** and pursuant to the other applicable laws and regulations, the special businesses as set out in the Postal Ballot Notice dated **Monday, November 06, 2023** along with the explanatory statement are proposed to be passed by way of remote e-voting only.

In compliance with the requirement of MCA Circulars and SEBI Circulars, the Postal Ballot Notice together with the Explanatory Statement and instructions for e-voting has been sent on Tuesday, December 19, 2023 by e-mail to all the members whose e-mail ID are registered with the Company/Depository Participant(s)/ Registrar and Transfer Agent i.e., M/s. Link Intime India Private Limited **('LIIPL')** as on **Friday, December 15, 2023 ('Cut-off date')**. The Postal Ballot Notice can also be downloaded from the website of the Company at **www.bikaji.com** or the website of LIIPL i.e. **https://www.linkintime.co.in** or National Securities Depository Limited ('NSDL') at **www.evoting.nsdl.com.** Physical copy of the Notice along with Postal Ballot form and pre-paid business envelope has not been sent to members with the Notice and accordingly, Members are required to communicate their assent or dissent through remote e-voting system only as provided by the NSDL.

The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them on the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who ceases to be a member as on the Cut-off date will not be entitled to vote and should treat this notice for Information purpose only.

Once the Member cast vote on a resolution, Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed Instructions for remote e-voting are provided in the Notice. Members are requested to read the instructions carefully as set out in the Notice while expressing their assent or dissent.

The details of remote e-voting (prior to the Meeting) are:

Remote e-voting shall commence on	**Wednesday, December 20, 2023 (10.00 A.M. IST)**
Remote e-voting shall end on	**Thursday, January 18, 2024 (5.00 P.M. IST)**
The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.	

Any Member, holding shares as on the Cut-off date and who may not have received this notice after the date of electronic dispatch, may obtain the Login ID and password by following the instructions as mentioned in the Notice or sending a request at **evoting@nsdl.co.in** . However, if a person is already registered with NSDL or Central Depository Services (India) Limited **('CDSL')** for remote e-voting, then existing User ID and password can be used to cast their vote as per instructions provided in the notice.

The Company has appointed Mr. Manoj Maheshwari (Membership No.-F3355 and CP No.- 1971) and failing him Ms. Priyanka Agarwal (Membership No.-F11138 and CP No.- 15021), Partners of M/s V. M. & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through e-voting in a fair and transparent manner.

The **results of the remote e-voting/ Postal Ballot will be declared within 2 working days from the date of completion of said e-voting.** The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company at **www.bikaji.com** and on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com** and shall simultaneously be forwarded to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd.

The Members who have not updated their e-mail addresses are requested to register the same in respect to the shares held by them in electronic form with the Depository through their Depository Participant and in respect to the shares held in physical form by writing to the LIIPL, Company's Registrar and Share Transfer Agent either by e-mail to **rnt.helpdesk@linkintime.co.in** or by post to C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) Mumbai, Mumbai City, Maharashtra- 400083, India.

In case of any query and/ or grievance in respect of remote e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or e-mail at **evoting@nsdl.co.in** or call on 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 toll free no. of NSDL for any further clarifications. Members can also contact at NSDL at Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager (Email ID- **pallavid@nsdl.co.in** or Contact No. - 1800 309 4001), National Securities Depository Limited, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills compound, Lower Parel, Mumbai- 400013 or can also contact to Head-Legal and Company Secretary of the Company at **+91 151-2250350** or **cs@bikaji.com.**

For Bikaji Foods International Limited

Rahul Joshi
Head-Legal and Company Secretary
Membership No.: ACS33135

Date: December 19, 2023
Place: Bikaner

3BF-91-2023

PUBLIC NOTICE

The general public is informed that the Haryana State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) has accorded Environment Clearance to Krisumi Corporation Pvt. Ltd. for the expansion of its Group Housing Project at sector 36 A, Gurgaon Manesar Urban Complex, Haryana, vide EC identification no. EC23B039HR110360 and SEIAA File no. SEIAA/HR/ 2023/406 dated 18/12/2023. Vide this public notice, general public is informed that a copy of the said Environment Clearance letter is available on website of the SEIAA accessible at **www.environmentclearance.nic.in**

Date : 20.12.2023
Place: Gurgaon

SpiceJet

SpiceJet Limited

CIN: L51909DL1984PLC288239
Regd. Office: Indira Gandhi International Airport, Terminal 1D, New Delhi -110037
Website: www.spicejet.com; email: investors@spicejet.com;
T: +91 124 3913939; F: +91 124 3913844

NOTICE

Notice is hereby given that:

1. the 39th Annual General Meeting ("**AGM**") of the members of SpiceJet Limited (the "**Company**") will be held on Wednesday, the 10th day of January, 2024 at 3:30 p.m. through video conference and other audio visual means ("**VC**"). In terms of the General Circular No. 9/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as the "**e-AGM Circulars**") the AGM of the Company is being conducted through VC facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The members may attend the AGM through VC facility or view the live webcast of the AGM at https://emeetings.kfintech.com
2. in compliance with e-AGM Circulars, the electronic copies of Notice of the AGM and Annual Report for financial year 2022-23 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/depository participant(s). The Annual Report along with Notice of the AGM is also available on website of the Company i.e. www.spicejet.com under the "Investors" section, website of stock exchange i.e. www.bseindia.com and website of KFin Technologies Limited ("**KFinTech**") i.e. https://evoting.kfintech.com. The dispatch of Notice of the AGM through e-mails has been completed on December 19, 2023.
3. pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Company is pleased to offer e-voting facility to the members to cast their votes electronically on all resolutions set out in the Notice convening the AGM. The Company has engaged the services of KFinTech to provide the e-voting facility. In terms of Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India on the e-voting facility provided by listed companies and as part of increasing the efficiency of the voting process, e-voting process has been enabled to all individual shareholders holding securities in demat mode to vote through their demat account maintained with depositories/websites of depositories/depository participants. The detailed procedure and instructions for e-voting and participation in the AGM through VC facility are provided in the Notice of the AGM.

   Members are informed that (a) the e-voting period commences on Saturday, January 6, 2024 at 9:00 a.m. and ends on Tuesday, January 9, 2024 at 5:00 p.m. The e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be disabled by KFinTech upon expiry of aforesaid period; (b) members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off of date i.e. January 3, 2024, can cast their vote through e-voting or through e-voting system during the meeting. (c) members who have not cast their votes on the resolutions through e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to cast their vote through e-voting system available during the AGM; (d) a member may attend the AGM even after exercising his right to vote through e-voting, but shall not be eligible to vote at the AGM; and (e) a person who has become the member of the Company post-dispatch of Notice of the AGM and holds shares as on cut-off date i.e. January 3, 2023, may write to KFinTech on email ID evoting@kfintech.com requesting for the user ID and password. However, if you have already registered with KFinTech for e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your votes.

   In case of any queries, member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mrs. C Shobha Anand, Dy. VP, KFin Technologies Limited, (Unit: SpiceJet Limited), Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana – 500032, Tel No.: 1800 309 4001 and E-mail ID: evoting@kfintech.com
4. members who have note registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email address with KFinTech at einward.ris@kfintech.com to receive copy of Annual Report for financial year 2022-23 along with Notice of AGM.
5. pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from January 4, 2024 to January 10, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the 39th AGM of the Company.

For SpiceJet Limited
Sd/-
Chandan Sand
Sr. VP (Legal) & Company Secretary

Place: Gurugram
Date: December 19, 2023

SpiceJet

स्पाइसजेट लिमिटेड

CIN: L51909DL1984PLC288239

पंजीकृत कार्यालय : इन्दिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 1डी, नई दिल्ली-110 037,
वेबसाइट : www.spicejet.com; ई-मेल : investors@spicejet.com;
दूरभाष : +91 124 3913939; फैक्स : +91 124 3913844

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :

1. स्पाइसजेट लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') वीडियो कांफ्रेंस तथा अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''वीसी'') के माध्यम से बुधवार, 10 जनवरी, 2024 को 3.30 बजे अप. में कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 9/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 (सामूहिक रूप से ''ई-एजीएम परिपत्र'' सन्दर्भित) के सन्दर्भ में कम्पनी की एजीएम वीसी सुविधा के माध्यम से संचालित की जायेगी जिसमें किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सदस्य वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं या https://emeetings.kfintech.com पर एजीएम का लाइव वेबकास्ट देख सकते हैं।
2. ई-एजीएम परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ तथा वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण ऐसे सदस्यों को कर दिया गया है जिनके इमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.spicejet.com के निवेशक खंड में तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com और केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (''केफिन टेक'') की वेबसाइट अर्थात https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है। ई-मेल द्वारा एजीएम की सूचना भेजने का कार्य 2 दिसम्बर, 2022 को पूरा कर लिया गया है।
3. कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा-संशोधित के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिये अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधा के लिए केफिन टेक की सेवाएं ग्रहण की हैं। सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा प्रावधानित ई-वोटिंग सुविधा पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के सन्दर्भ में तथा वोटिंग प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के अंग के रूप में डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले सभी व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग प्रक्रिया को डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी की वेबसाइट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अनुरक्षित डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने के लिए सक्षम किया गया है। ई-वोटिंग और वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।
   सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (ए) ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 6 जनवरी, 2024 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 9 जनवरी, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर केफिनटेक द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा; (बी) कट-ऑफ तिथि यानी 3 जनवरी, 2024 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्य, रिमोट ई-वोटिंग या बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं, (सी) सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे; (डी) कोई सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन एजीएम में वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा; और (ई) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है और कट-ऑफ तारीख यानी 3 जनवरी, 2024 को शेयर धारण करता है, वह केफिनटेक को ईमेल आईडी evoting.kfintech.com पर यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए अनुरोध करने के लिए लिख सकता है। हालांकि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए केफिनटेक के साथ पहले ही पंजीकरण कर लिया है, तो आप वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
   किसी भी पूछताछ के मामले में, सदस्य https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders तथा e-voting User Manual for shareholders का सन्दर्भ ले सकते हैं, या सुश्री सी शोभा आनंद, उप महाप्रबंधक, केफिनटेक (यूनिट : स्पाइसजेट लिमिटेड), सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 तथा 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500032, दूरभाष : 1800 309 4001 तथा ई-मेल आईडी : evoting.kfintech.com पर संपर्क करें।
4. जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते को संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत करें और भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त करने के लिए केफिनटेक के ई-मेल पते einward.ris@kfintech.com पर अपना ईमेल पता अपडेट करें।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 और उसके तहत बनाए गए लागू नियमों के अनुसार, कंपनी के 39वें एजीएम के प्रयोजन के लिए सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 4 जनवरी, 2024 से 10 जनवरी, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

कृते स्पाइसजेट लिमिटेड
ह./-
चंदन सैंड
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (विधिक) और कंपनी सचिव

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 19 दिसंबर, 2023

यूनियन बैंक Union Bank of India

आस्ति वसूली शाखा, डी-26/28, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001,
(कार्यस्थल : एम-35, प्रथम तल, आउटर सर्कल कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001)
ईमेलः ubin0554723@unionbankofindia.bank

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का एक्ट 54) के प्रवर्तन के अधीन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आस्ति वसूली शाखा, एम-35, प्रथम तल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **कर्जदार मैसर्स प्रशांत इलेक्ट्रिकौ, दुकान नं. 139, डी बी गुप्ता मार्केट, करोलबाग, नई दिल्ली-110005, प्रोपराईटर श्री आशुतोष बजाज पुत्र श्री सुशील कुमार बजाज के माध्यम से निवासी-4/67, रूप नगर, दिल्ली-110007 और गारंटर श्री सुशील कुमार बजाज पुत्र स्वर्गीय श्री एम एल बजाज, निवासी-4/67, रूप नगर, दिल्ली-110007 को एक मांग सूचना दिनांकित 10-06-2020 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 38,54,859.85 (रु. अडतीस लाख चौवन हजार आठ सौ उनसठ और पैसे पिचासी मात्र) दिनांक 10.06.2020 तक और भविष्य का ब्याज एवं लागत इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सम्पत्ति का **कब्जा** सुरक्षा हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक **19-12-2023** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, (पूर्व आन्ध्रा बैंक, करोल बाग, नई दिल्ली) के प्रभार वास्ते राशि रू 38,54,859.85 (रु. अडतीस लाख चौवन हजार आठ सौ उनसठ और पैसे पिचासी मात्र) और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगी।**

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति दुकान नं. 139, क्षेत्रफल 245 वर्ग फीट, देश बंधु गुप्ता मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री आशुतोष बजाज पुत्र श्री एस के बजाज के नाम पर है। चौहद्दीः पूरब में – दुकान नं. 153, पश्चिम में – लेन, उत्तर में – दुकान नं. 140, दक्षिण में – दुकान नं. 138

दिनांकः 19.12.2023, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

J&K Bank

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

बाधित परिसंपत्ति पोर्टफोलिओ प्रबंध विभाग
अंचल कार्यालय (दिल्ली) प्लॉट नं. 132-134, सेक्टर-44, गुड़गाँव (हरियाणा) (भारत).
GSTIN: 06AAACT6167G1ZB, टे.: +91 (0)0124-4715800; +91 (0)0124-4715800,
ईमेलः **iapmd.del@jkbmail.com, www.jkbank.net**

(कब्जा सूचना)
(अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.6.2022 जारी कर ऋणधारक(कों) सह मार्टगैजर(रों) तथा गारन्टर(रों) अर्थात्

1. **श्री टीटू, पुत्र श्री भगत सिंह,** निवासी : मकान सं. 675, वार्ड नं. 31, बालसमन्द रोड, बाल्मीकि बस्ती, हिसार, तहसील एवं जिला हिसार, हरियाणा-125001 (ऋणधारक)
2. **श्री होशियार सिंह, पुत्र श्री हरफूल सिंह,** निवासी : मकान सं. 287, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिरसा रोड, हिसार, तहसील एवं जिला हिसार, हरियाणा-125001 (गारंटर)

को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.5.2022 को रु. 2,93,901.84 (रु. दो लाख तिड़ानबे हजार नौ सौ एक पैसे चौड़ासी मात्र) के साथ आगे के ब्याज, लागतों एवं चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, गारंटरों इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 18 दिसम्बर, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 30.11.2023 को रु. 2,68,395.84 (रु. दो लाख अड़सठ हजार तीन सौ पंचानबे पैसे चौड़ासी मात्र) के साथ आगे के ब्याज, लागतों एवं चार्जेज आदि जो बैंक द्वारा वहन की गई है, के लिये द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि., शाखा कार्यालय हिसार के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

"घोरा फार्म रोड, बाल्मीकि बस्ती, हिसार, हरियाणा में स्थित प्लॉट से शामिल सम्पत्ति का इक्विटेबल मार्टगैज।"

तिथिः 18.12.2023 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः हिसार — द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालयः कॉर्पोरेट मुख्यालयः एम.ए. रोड, श्रीनगर 190001 कश्मीर, भारत, टी. +91(0) 1942481930-35 **एफः** +91 (0) 194 248 1928 CIN: **L65110JK1938SGC00048** ईः info@jkbmail.com W: **www.jkbank.net**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) — Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) — We care service is a way of life

शाखाः अशोक विहार, दिल्ली, माता जय कौर पब्लिक स्कूल, अशोक विहार फेज-3, दिल्ली- 110052 फोनः 011-41767022 ई-मेलः d0897@psb.co.in

परिशिष्ट IV – कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत पंजाब एंड सिंध बैंक का अधिकृत अधिकारी होने के रूप में और नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता हुये सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने दिनांक **29.09.2023** को एक डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें **उधारकर्ता मेसर्स एमजेपी फूड्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को मालिक जतिन आर्य और गारंटर पुरूषोत्तम आर्य के माध्यम से नोटिस में उल्लिखित राशि रुपये 14,25,226.86 (चौदह लाख पच्चीस हजार दो सौ छब्बीस रुपये और छियासी पैसे मात्र)** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ 16 दिसंबर 2023 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब एंड सिंध बैंक के शुल्क **रू. 14,25,226.86** और उस पर ब्याज के अधीन होगा।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण.

प्लॉट नंबर 68 खसरा नंबर 676 से 679 और 781/659 का वह सारा हिस्सा और पार्सल **जो कि गांव वजीरपुर की आबादी में रेलवे क्रॉसिंग नंबर 3 अशोक विहार फेज 3 दिल्ली 110052 के पास सावन पार्क की आबादी में श्री जतिन आर्य पंजीकरण संख्या 948, पुस्तक संख्या 1 खंड संख्या 4088 पृष्ठ 116 से 117 दिनांक 15-03-1982, उप रजिस्ट्रार कश्मीरी गेट दिल्ली में के नाम पर है।**

दिनांकः 16.12.2023, स्थानः दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक

दि कागड़ा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड

प्रधान कार्यालय : सी-29, कम्युनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
फोन : 011-25611042, 25611043, 25611044
ई-मेल : legal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com वेबसाइट : www.kangrabank.com

परिशिष्ट 4
नियम 8(1) देखें

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, "दि कांगड़ा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड", प्रधान कार्यालय सी-29, कम्युनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 तथा पंजीकृत कार्यालय 1916, चूना मंडी, पहाड़ गंज, नई दिल्ली-110055 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम (3) के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 16-09-2023 जारी की थी, जिसमें कर्जदार एवं बंधकदाता श्री करण कुमार पुत्र स्व. श्री रतन सिंह, निवासी डी-1/3, आचार्य निकेतन, मयूर विहार, दिल्ली-110091 अन्य पता श्री करण कुमार पुत्र स्व. श्री रतन सिंह, सी/ओ मैसर्स जय दुर्गा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बी-20, शशि गार्डन, दिल्ली-110091 से सूचना में वर्णित राशि रू. 1,54,62,137/- (रूपए एक करोड़ चौवन लाख बासठ हजार एक सौ सैंतीस मात्र) का भुगतान, सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे ब्याज, दंड ब्याज और समय समय पर इस ऋण खाते हेतु लागू अन्य प्रभारों के साथ, इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

उपरिवर्णित कर्जदार और बंधकदाता राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा उपरोक्त नामक कर्जदार, बंधकदाता और सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि बैंक ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम (8) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा 16 दिसम्बर, 2023 को ले लिया है।

कर्जदार और बंधकदाता को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को एतद्द्वारा बंधक सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार "दि कांगड़ा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड" की बकाया राशि रू. 1,54,62,137/- तथा सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे ब्याज, दंड ब्याज और समय समय पर इस ऋण खाते हेतु लागू अन्य प्रभारों तथा उक्त राशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार एवं बंधकदाता का ध्यान, बंधक सम्पत्ति/प्रत्याभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सम्पत्ति का वर्णन

विचाराधीन सम्पत्ति एक निर्मित सम्पत्ति सं. डी-1/3, छत के अधिकार सहित, क्षेत्रफल परिमाप 200 वर्ग गज है।	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : निर्मित सम्पत्ति सं. डी-1/3, क्षेत्रफल परिमाप 200 वर्ग गज है, इसके पूर्ण स्ट्रक्चर, छत के अधिकार, आखिरी मंजिल तक निर्माण के अधिकार सहित, खसरा नंबर 63, चालू हालत में बिजली और टोंटी पानी कनेक्शन के साथ, स्थित आबादी आचार्य निकेतन, ग्राम कोटला, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110091, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :- पूरब : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : गली, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति, सम्पत्ति सब-रजिस्ट्रार-8, दिल्ली/नई दिल्ली के पंजीकरण क्षेत्र के अंतर्गत है।

(मीनाक्षी वत्स)
प्राधिकृत अधिकारी
दि कांगड़ा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड
प्रधान कार्यालय सी-29, कम्युनिटी सेंटर,
पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-58

स्थान : दिल्ली

पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड

PARAMOUNT CABLES

सीआईएनः L74899DL1994PLC061295
पंजीकृत कार्यालय : केएच-433, मौलसरी एवेन्यू, वेस्टेंड ग्रीन्स, रंगपुरी, नई दिल्ली-110037
फोनः 011-45618800, **फैक्सः** 011-25893719-20
ई-मेल : pcl@paramountcables.com, वेबसाइट : www.paramountcables.com

असाधारण आम बैठक की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 दिसम्बर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 5 मई, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 (इसके पश्चात सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' संदर्भित) और सेबी परिपत्र तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अन्य सभी प्रयोज्य परिपत्रों के अनुपालन में ईजीएम की सूचना में निर्धारित विशेष व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण आम बैठक ('ईजीएम') गुरुवार, 11 जनवरी, 2024 को शाम 12.30 बजे अप. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात केएच-433, मौलसरी एवेन्यू, वेस्टेंड ग्रीन्स, रंगपुरी, नई दिल्ली-110037 को ईजीएम के लिए स्थल माना जाएगा।
2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग विवरण इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत/उपलब्ध हैं। शेयरधारकों को ईजीएम के नोटिस के ईमेल भेजने की पूर्णता तिथि **20 दिसम्बर, 2023** है।
3. यदि आपने कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

डीमैट धारिता	**सदस्यों से आग्रह है कि संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट ('डीपी') से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह से प्रक्रिया का अनुसरण करें।**
भौतिक धारिता	शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की असाधारण आम बैठक के प्रयोजन के लिए अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और/या फॉर्म-आईएसआर-1 में अन्य विवरण और सेबी द्वारा निर्धारित अन्य प्रासंगिक फॉर्म कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, फोनः 011-41410592/93/94, टेलीफैक्सः 011-41410591, ईमेल आईडीः **kyc@linkintime.co.in**, वेबसाइटः **www.linkintime.co.in** के पास प्रस्तुत करें। इस संबंध में शेयरधारकों द्वारा उपयोग और जानकारी के लिए सेबी द्वारा निर्धारित प्रासंगिक फॉर्म आरटीए की वेबसाइट **www.linkintime.co.in** पर **Investor Service- KYC Compliance** के तहत और कंपनी की वेबसाइट **www.paramountcables.com/updates** पर भी उपलब्ध हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे नोट करें और अपना विवरण समय पर अपडेट करें।

4. कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा यथासंशोधित तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने में सदस्यों को सक्षम बनाने के लिये ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु आरटीए अर्थात मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड की सेवाएँ ग्रहण की हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 08 जनवरी, 2024 को (9.00 बजे पूर्वा.) शुरू होगी तथा बुधवार, 10 जनवरी, 2024 को (5.00 बजे अप.) बंद होगी। उक्त तिथि तथा समय के पश्चात ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। उसके बाद मतदान के लिये रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली निष्क्रिय कर दी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 04 जनवरी, 2024 को शेयर धारित करते हैं, वे **enotices@linkintime.co.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
5. सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद सदस्यों को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। ईजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी तथा जिन सदस्यों ने ईजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे ईजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। अभिषेक मित्तल एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. एफ 7273 एवं सीपी नं. 7943) को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिये संवीक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया ईजीएम की सूचना के साथ संलग्न नोट्स में शामिल है।
6. हेल्पडेस्क : डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क : यदि डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने से संबंधित कोई तकनीकी समस्या है, तो वे नीचे दिए गए संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 तथा 022 - 24997000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं।

भौतिक माध्यम में प्रतिभूति धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क : लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक लिंक इनटाइम इंस्टावोट हेल्पडेस्क के पास **enotices@linkintime.co.in** पर अनुरोध भेजें या सम्पर्क करें : दूरभाष : 022- 4918 6000.

7. ईजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट **www.paramountcables.co.in**, स्टॉक एक्सचैंजों (एनएसई एवं बीएसई) की वेबसाईटों तथा लिंक इन्टाइम की वेबसाईट **instavote-Linkintime** पर भी उपलब्ध होगी।

पैरामाउन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड के लिये
हस्ताः/-
राशि गोयल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथिः 20 दिसम्बर, 2023
स्थानः नई दिल्ली

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय ऋणग्रस्त परिसंपत्ति वसूली शाखा
चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008
दूरभाष : 011.43026349, 42268473, ईमेल : sardii@bankofbaroda.com

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

परिशिष्ट–IV–ए (नियम 8(6) का प्रावधान देखें)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे विवरणित अचल संपत्ति, जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित रखी गई है, जिसका भौतिक अधिग्रहण बैंक